न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र देवतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 02/2011
दायरा तिथि 07.01.2011
निर्णय तिथि 25.05.2017

वादीगण–

1–विष्णुलाल पुत्र इन्दाजी
2–सोहनलाल पुत्र इन्दाजी
3–विक्रमकुमार पुत्र इन्दाजी
तमाम जाति गुरू, निवासी देवतरा
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनामः

प्रतिवादीगण–

1–हस्तीमल पुत्र चुन्नीलालजी
2–स्व.श्रवणकुमार पुत्र चुन्नीलालजी
के कायम मुकाम–
2/1–शौभादेवी पत्नी स्व.श्रवणकुमारजी
2/2–विमल पुत्र स्व.श्रवणकुमारजी
2/3–कुसुम पुत्री स्व.श्रवणकुमारजी
2/4–लता पुत्री स्व.श्रवणकुमारजी
नाबालिग जरिए कुदरती वलिया
माता शौभादेवी पत्नी स्व.
श्रवणकुमारजी
3–पुखराज पुत्र केसाजी
तमाम जाति गुरू, निवासी देवतरा
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
4–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली
(राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 25.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र देवतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा देवतरा, पटवार सर्कल देवतरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 493 रकबा 2.26 हेक्टर किस्म बारानी सोयम वार्षिक लगान रूपये 9.04 वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई है पूर्व में केसाजी के चार पुत्र चुन्नीलालजी, इन्दाजी, कपूरारामजी व पुखराजजी के संयुक्त कब्जे काश्त रही है, परन्तु प्रथम सेटलमेंट संवत् 2009 के दौरान चुन्नीलालजी ही घर परिवार के तमाम कार्य, सरकारी काम–काज, राजस्व रेकर्ड आदि की देखरेख घर वालों की सहमति से करते थे, जिसके कारण उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रथम सेटलमेंट के समय चुन्नीलालजी के नाम दर्ज हो गई। लैकिन उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्व.केसाजी के उक्त चारों पुत्रो का मौके पर कब्जा काश्त बहिस्सा बराबर रहा। इस वादपत्र में दर्शायी वंशावली अनुसार पिछले 50 सालों से वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्व.केसाजी के पुत्र इन्दाजी व कपूरारामजी दोनों का 1/2 हिस्सा एवं चुन्नीलालजी व पुखराजजी दोनों का 1/2 हिस्सा निहित है जिसके अनुसार मौके पर काबिज व काश्त करते आ रहे। साथ ही वादीगण ने कथित वादपत्र के जरिए यह भी निवेदन किया कि कपूरारामजी के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होने से इन्दाजी के

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

शामिल रह कर अपना जीवन व्यतीत किया, अंतिम समय में कपूरारामजी की सेवा–चाकरी भी इन्दाजी व उनके वारिसान ने की जिससे कपूरारामजी ने अपना हिस्सा इन्दाजी को सुपुर्द कर दिया था, कपूरारामजी की मृत्यु 35 वर्षो पूर्व हुई थी तब से व पिछले 50 वर्षो से वादग्रस्त 1/2 हिस्सा भूमि पर इन्दाजी का व उनकी मृत्यु बाद उनके वारिसान वादीगण का ही कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार के चला आ रहा है जिससे उक्त वादग्रस्त 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा (एडवर्स पजेशन) के तहत खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है, परन्तु उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि अकेले चुन्नीलालजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने व चुन्नीलालजी की मृत्यु बाद उनके वारिस प्रतिवादी सं.01 व 02 के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण, वादीगण को उनकी पैतृक व पुश्तैनी 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार नहीं मानते है और अन्यत्र बैचान करने की धमकी देते है। इसलिए स्वीकार व डिक्री किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का विरूद्ध प्रतिवादली सं.01 व 02 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, साथ ही वादीगण के 1/2 हिस्से की घोषित सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावे। कथित वादपत्र में प्रतिवादी सं.03 व 04 को बतौर फोरमल पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज संबंधित जमाबंदी संवत् 2064–67 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01 एवं प्रतिवादी सं. 02 स्व.श्रवणकुमार के कायम मुकाम ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वादपत्र में अभिव्यक्त किए गये तमाम कथनों व तथ्यों को नकारते हुए इसे सरासर गलत, झूठा व मनगढंत होना बताया है, साथ ही यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि स्व.केसाजी के चार पुत्रों की कभी भी नहीं रही है, प्रथम सेटलमेंट संवत् 2009 से ही यह भूमि एकमात्र चुन्नीलालजी अकेले के नाम से पुश्तैनी व स्वामित्व की राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज रही, तब से लगातार पर्चा लगान भी उनके नाम से जारी हुए, स्व.चुन्नीलालजी का देहान्त 22 वर्षो पूर्व हो चुका है, वादग्रस्त हिस्सा भूमि पर वादीगण या उनके पूर्वजों का गत् 50 सालों से कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि गत् 50 सालों से पूर्व मौके पर चुन्नीलालजी का व उनकी मृत्यु बाद उनके वारिसान अर्थात प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त आज तक शांति पूर्वक चला आ रहा है, वादग्रस्त 1/2 हिस्सा भूमि बाबत् वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार पाने या इस भूमि संबंधित किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा पाने के लिए कानूनन हकदार नहीं बनते है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सव्यय खारिज फरमावे। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः भू–प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक संवत् 2032, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदिया (खतौनी) संवत् 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2056–59 की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतिया पेश की है।

तद्परान्त कथित प्रकरण में तनकियात बिन्दु सं.01 लगाय 05 कायम किए गये। शहादत वादीपक्ष में गवाह वईदाराम पुत्र दुदाजी कौम मेघवाल निवासी देवतरा, आदाराम पुत्र चुन्नीलालजी कौम छीपा निवासी देवतरा, वादी–सोहनलाल पुत्र इन्द्राजी कौम गुरू निवासी देवतरा ने अपने–2 तस्दीक सुदा शपथपत्र पेश किए जिन्हें रेकर्ड पर लिए गये। गवाह वईदाराम व वादी–सोहनलाल के कथित शपथ पत्रों पर जिरह दर्ज की गई। इसी प्रकार शहादत प्रतिपक्ष में प्रतिवादी सं.01 हस्तीमल पुत्र चुन्नीलालजी कौम गुरू निवासी देवतरा व प्रतिवादी सं. 2/1 शौभादेवी पत्नी स्व.श्रवणकुमारजी कौम गुरू निवासी देवतरा ने अपने–2 तस्दीक सुदा शपथपत्र पेश किए जिन्हें रेकर्ड पर लिए गये, व इनके तथाकथित शपथ पत्रों पर जिरह दर्ज की गई।

(2) कि राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव से वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड तथा मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर रेकर्ड पर ली गई, जिसके अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 493 रकबा 2.26 हेक्टर पक्षकारों की

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

पुश्तैनी नहीं होकर सेटलमेंट से पूर्व मिसल जमाबंदी संवत् 2022–31 के अनुसार चुन्नीलाल पुत्र केसाजी कौम गुरू निवासी देवतरा को गत् खसरा नं. 215 रकबा 15) बीघा भूमि आवंटित होने से गैरखातेदारी दर्ज की गई थी जिसको नामान्तकरण सं.14 द्वारा वर्ष 2981 में खातेदारी अधिकार दिए गये थे, जिसके नये खसरा नंबर 493 रकबा 2.26 हेक्टर बने जो वतग्मान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं.01 लगाय 02 के नाम खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार सेटलमेंट से पूर्व मिसल जमाबंदी संवत् 2022–31 के अनुसार कला पुत्र इन्दाजी कौम गुरू निवासी देवतरा को भी गत् खसरा नं. 215/3 रकबा 15) बीघा भूमि आवंटित होने से गैरखातेदारी दर्ज की गई थी जिसको नामान्तकरण सं.13 दिनांक 21.03.1981 के जरिए खातेदारी अधिकार दिए गये थे जिसके नये खसरा नं. खसरा नंबर 489 रकबा 2.04 हेक्टर बने जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में चम्पालाल पुत्र कला के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसके अलावा सेटलमेंट से पूर्व मिसल जमाबंदी संवत् 2022–31 के अनुसार इन्दा पुत्र केसाजी कौम गुरू निवासी देवतरा को भी गत् खसरा नं. 215/1 रकबा 10) बीघा भूमि आवंटित होने से गैरखातेदारी दर्ज की गई थी जिसको नामान्तकरण सं.15 द्वारा वर्ष 2981 में खातेदारी अधिकार दिए गये थे जिसके नये खसरा नं. खसरा नंबर 492 रकबा 1.31 हेक्टर बने जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम दर्ज है। कथित जांच रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव ने यह भी जाहिर किया है कि वादीगण ने वादपत्र में दर्ज वंशावली अनुसार इन्द्राजी के तीन पुत्र वादीगण होने दर्शाए है जबकि इन्द्राजी के चार पुत्र थे, चौथा कलाराम पुत्र था और इन्दाजी के पुत्रीया भी थी जिनको वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया है।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेज अर्थात वादीपक्ष के साक्ष्य–दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2064–67 व साक्ष्य–गवाह वईदाराम, आदाराम, वादी–सोहनलाल के तस्दीक सुदा शपथपत्र जिरह सहित एवं प्रतिपक्ष के साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः भू–प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक संवत् 2032, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदिया (खतौनी) संवत् 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2056–59 व साक्ष्य–गवाह प्रतिवादी सं.01 हस्तीमल व प्रतिवादी सं. 2/1 शौभादेवी के तस्दीक सुदा शपथपत्र जिरह सहित तथा भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव की तथाकथित जांच रिपोर्ट के अवलोकन, परीक्षण एवं विचारण करने के पश्चात् हमने पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र में अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की पुष्ठि नहीं होती है, इसके अलावा पत्रावली पर कायमी तनकियात बिन्दु सं.01 लगाय 05 तक के संदर्भित उल्लेखित तथ्यात्मक व विधिक विश्लेषण अनुसार भी सभी कायमी तनकियात बिन्दु प्रथमतः वादीगण पक्ष में साबित नहीं होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वतः साबित होते है जिनका अलग से विश्लेषण, विवेचनाए व निष्कर्ष व्यक्त करने की आवश्यक प्रथमतः प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि गत् व हाल राजस्व रेकर्ड अनुसार पक्षकारों की पुश्तैनी पैतृक भूमि नहीं होकर केवलमात्र प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. चुन्नीलालजी की आवंटित सुदा व कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रही है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं.01 व 02 के नाम खातेदारी दर्ज है। अतः प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित व आधारित विधिक तथ्यों पर विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या पोषणीय व चलने योग्य प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा देवतरा, पटवार सर्कल देवतरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 493 रकबा 2.26 हेक्टर किस्म बारानी सोयम के वादग्रस्त 1/2 हिस्सा भूमि से संबंधित खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः परिपोषणीय व चलने योग्य प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 25.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–देवतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner